सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-6381/MH/666/2025-RO-BH/RU-I **दिनांक: 20.07.2026**

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-धुले,
कलेक्टर कार्यालय, नया प्रशाश्रिक भवन,
धुले-424001, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.dhule@maharashtra.gov.in

विषय: अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा प्रदान करनें के संबंध में श्री संजय कन्हैयालाल भामरे, रा. बाजार पेठ, पिंपलनेर, तालुका-साक्री, जिला-धुले, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 20.11.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 15.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री संजय कन्हैयालाल भामरे,
रा. बाजार पेठ, पिंपलनेर, तालुका-साक्री,
जिला-धुले, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-6381/MH/666/2025-RO-BH/RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई-I

श्री संजय कन्हैयालाल भामरे, रा. बाजार पेठ, पिंपलनेर ता. साक्री, जिला धुले (महाराष्ट्र) - अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा प्रदान करनें के संबंध में प्राप्त संबंधी अभ्यावेदन पर दिनांक 15.06.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:
दिनांक: 15.06.2026
अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक-I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री संजय कन्हैयालाल भामरे, निवासी बाजार पेठ, पिंपलनेर, तहसील साक्री, जिला धुले (महाराष्ट्र) का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि गट नं. 54, क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर 50 आर. में से 3 हेक्टेयर 49 आर. भूमि उनके पूर्वजों की थी तथा उक्त भूमि पांझरा परियोजना अंतर्गत बांध एवं तालाब निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अधिग्रहण के समय उनके पिता स्व. कन्हैयालाल बबन शिंपी की मानसिक स्थिति का अनुचित लाभ उठाया गया तथा न तो कोई मुआवजा प्रदान किया गया और न ही वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई गई। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक अधिसूचनाएं एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर, धुले को दिनांक 23.12.2025 को नोटिस जारी किया गया था, किन्तु सुनवाई की तिथि तक आयोग को कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख: प्रकरण में आयोग द्वारा पूर्व में कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई है।

6. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई में टिप्पणियां एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, धुले की ओर से श्री किशोर कदम (उप जिलाधिकारी) उपस्थित हुए तथा विभाग का पक्ष प्रस्तुत किया। अभ्यावेदक अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान आयोग को अवगत कराया गया है कि भूमि अधिग्रहण के एवज में याचिकाकर्ता के पिता स्व. कन्हैयालाल बबन शिंपी को नियमानुसार मुआवजा राशि दिनांक 03.03.1973 को ₹4,300/- तथा दिनांक 21.03.1974 को ₹1,859/- का भुगतान किया गया था।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित उपलब्ध अभिलेखों, मुआवजा भुगतान रजिस्टर, कैशबुक की प्रतियां तथा अन्य दस्तावेज याचिकाकर्ता को उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा उनकी प्राप्ति रसीद भी अभिलेखों में उपलब्ध है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी गई है और विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

आयोग यह अवलोकन करता है कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, याचिकाकर्ता सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। उक्त प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जाए तथा उस पर याचिकाकर्ता की टिप्पणियां/अभिमत प्राप्त कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

7. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएं:

संबंधित प्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचिकाकर्ता को मांगी गई समस्त जानकारी उपलब्ध करा दी गई है तथा विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। अतः संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जाए तथा उस पर उनकी टिप्पणियां/अभिमत 30 दिवस के भीतर प्राप्त कर आयोग को प्रस्तुत किए जाएं। यदि निर्धारित अवधि में याचिकाकर्ता की ओर से कोई प्रतिक्रिया/आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग इस प्रकरण को बंद किए जाने की अनुशंसा करता है ।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/DEV-6381/MH/666/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 15.06.2026

विषय: अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा प्रदान करनें के संबंध में श्री संजय कन्हैयालाल भामरे, रा. बाजार पेठ, पिंपलनेर, तालुका-साक्री, जिला-धुले, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 20.11.2025 का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 15.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-धुले, कलेक्टर कार्यालय, नया प्रशाश्निक भवन,
धुले-424001, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	किशोर अंबादास कदम	उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र-1 धुळे	9422476862	[signature]
2				
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				